विद्युत मंत्रालय

मांग संख्या 75

विद्युत मंत्रालय

क. वसूलियॉ और प्राप्तियॉ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013		
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	5221.00	-44.34	5176.66	6779.84	-135.01	6644.83	3816.88	-183.69	3633.19	5929.63	-122.89	5806.74
	पूंजी	***3074.54***	...	*3074.54*	*2862.16*	...	*2862.16*	*2234.12*	...	*2234.12*	*3712.37*	...	*3712.37*
	जोड़	**8295.54**	**-44.34**	**8251.20**	**9642.00**	**-135.01**	**9506.99**	**6051.00**	**-183.69**	**5867.31**	**9642.00**	**-122.89**	**9519.11**
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451	0.97	21.24	22.21	1.00	24.10	25.10	1.00	24.10	25.10	0.10	25.84	25.94
2. ब्याज माफी													
2.01 नॉर्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन	2801	...	...	...	...	...	...	...	16.13	16.13	...	...	...
2.02 घटाइए निवल प्राप्तियां	0049	...	...	...	...	...	...	...	-16.13	-16.13	...	...	...
	कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
विद्युत													
सामान्य													
3. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	2801	4.46	65.11	69.57	13.18	77.03	90.21	6.39	73.80	80.19	18.08	78.80	96.88
	4801	2.12	...	2.12	3.05	...	3.05	2.05	...	2.05	1.00	...	1.00
	जोड़	*6.58*	*65.11*	*71.69*	*16.23*	*77.03*	*93.26*	*8.44*	*73.80*	*82.24*	*19.08*	*78.80*	*97.88*
4. अनुसंधान और विकास													
4.01 केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलूरू	2801	61.51	...	61.51	163.40	...	163.40	75.00	...	75.00	265.00	...	265.00
5. प्रशिक्षण													
5.01 राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई)	2801	17.00	6.40	23.40	16.89	6.40	23.29	2.09	6.40	8.49	5.09	6.40	11.49
6. मणिपुर आर मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना	2801	1.20	...	1.20	2.38	...	2.38	2.33	...	2.33	2.46	...	2.46
7. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग													
7.01 सीईआरसी निधि	2801	...	...	...	...	31.48	31.48	...	33.29	33.29	...	34.79	34.79
7.02 सीईआरसी निधि से पूरी की गई राशि	2801	...	...	...	...	-31.48	-31.48	...	-33.29	-33.29	...	-34.79	-34.79
	कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8. राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ)													
8.01 राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण	2801	2052.00	...	2052.00	5052.00	...	5052.00	2086.04	...	2086.04	4761.00	...	4761.00

http://indiabudget.nic.in

(करोड़ रुपए)

		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013		
			आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
8.02	ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आर्थिक सहायता हेतु एनआईएफ से पूरी हुई राशि - आरजीजीवीवाई	2801	-2000.00	...	-2000.00	-5000.00	...	-5000.00	-2086.04	...	-2086.04	-4761.00	...	-4761.00
8.03	एपीडीआरपी के लिए एनआईएफ से पूरी की गई राशि	2801	-52.00	...	-52.00	-52.00	...	-52.00	...	...	...	...	...	...
		कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9.	ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आर्थिक सहायता - आरजीजीवीवाई	2801	5000.00	...	5000.00	5326.70	...	5326.70	3189.60	...	3189.60	4410.00	...	4410.00
10.	एपीडीआरपी परियोजना के लिए परामर्शी प्रभार	2801	19.44	...	19.44	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11.	मूल्यांकन अध्ययन एवं परामर्शी सेवा के लिए निधियां	2801	0.04	...	0.04	1.00	...	1.00	0.25	...	0.25	2.00	...	2.00
12.	विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण	2801	...	5.77	5.77	...	8.50	8.50	...	8.36	8.36	...	8.78	8.78
13.	संध राज्य क्षेत्रों तथा गोवा हेतु संयुक्त जेईआरसी की स्थापना	2801	...	3.30	3.30	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00
14.	विद्युत क्षेत्र के लिए व्यापक पुरस्कार योजना	2801	...	...	...	0.82	...	0.82	0.82	...	0.82	0.90	...	0.90
15.	ऊर्जा संरक्षण	2801	127.24	...	127.24	130.80	...	130.80	50.00	...	50.00	200.00	...	200.00
16.	*ऊर्जा क्षमता ब्यूरो*													
16.01	ईएपी भिन्न घटक	2801	60.97	...	60.97	123.80	...	123.80	63.00	...	63.00	197.40	...	197.40
16.02	ईएपी घटक	2801	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00	2.60	...	2.60
	जोड़- ऊर्जा क्षमता ब्यूरो		*60.97*	...	*60.97*	*123.80*	...	*123.80*	*65.00*	...	*65.00*	*200.00*	...	*200.00*
17.	एपीडीआरपी	2801	100.00	...	100.00	75.00	...	75.00	68.00	...	68.00	117.00	...	117.00
18.	नियामक क्षमता निर्माण के फोरम को सहायता	2801	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
19.	पीएचआरडी के तहत टीएचडीसी को विश्व बैंक अनुदान	2801	0.41	...	0.41	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20.	एपीडीआरपी के लिए पीएफसी को ऋण	6801	2246.42	...	2246.42	1755.60	...	1755.60	1433.20	...	1433.20	2685.60	...	2685.60
21.	राष्ट्रीय बिजली निधि को ब्याज सब्सिडी	2801	...	...	...	249.57	...	249.57	...	...	...	72.00	...	72.00
22.	एनटीपीसी (एजीएनएसपी) को ब्याज सब्सिडी	2801	26.84	...	26.84	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23.	टिहरी जल विकास निगम भारत लिमिटेड	4801	...	...	...	...	...	...	45.00	...	45.00	110.00	...	110.00
24.	एनटीपीसी के लिए कोयला--धारित क्षेत्रों का अधिग्रहण	4801	105.19	...	105.19	489.93	...	489.93	179.61	...	179.61	720.04	...	720.04
24.01	घटाएं वसूलियां	4801	-105.19	...	-105.19	-489.93	...	-489.93	-179.61	...	-179.61	-720.04	...	-720.04
		कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-सामान्य			**7669.65**	**80.58**	**7750.23**	**7864.19**	**95.93**	**7960.12**	**4941.73**	**92.56**	**5034.29**	**8091.13**	**97.98**	**8189.11**
ताप विद्युत उत्पादन														
25.	*बदरपुर ताप विद्युत स्टेशन*													
25.01	राजस्व व्यय	2801	...	5.54	5.54	...	17.65	17.65	...	14.68	14.68	...	9.95	9.95
25.02	घटाइए - राजस्व प्राप्तियां	0801	...	-151.70	-151.70	...	-272.69	-272.69	...	-315.03	-315.03	...	-256.66	-256.66

http://indiabudget.nic.in

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011 आयोजना	वास्तविक 2010-2011 आयोजना-भिन्न	वास्तविक 2010-2011 जोड़	बजट 2011-2012 आयोजना	बजट 2011-2012 आयोजना-भिन्न	बजट 2011-2012 जोड़	संशोधित 2011-2012 आयोजना	संशोधित 2011-2012 आयोजना-भिन्न	संशोधित 2011-2012 जोड़	बजट 2012-2013 आयोजना	बजट 2012-2013 आयोजना-भिन्न	बजट 2012-2013 जोड़
कुल		*...*	*-146.16*	*-146.16*	*...*	*-255.04*	*-255.04*	*...*	*-300.35*	*-300.35*	*...*	*-246.71*	*-246.71*
पारेषण और वितरण													
26. श्रीनगर से कारगिल होते हुए लेह तक 220 केवी पारेषण लाइन	4801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	200.00	...	200.00
27. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान													
27.01 ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आर्थिक सहायता - आरजीजीवीवाई	2552	...	...	...	673.30	...	673.30	354.40	...	354.40	490.00	...	490.00
27.02 एपीडीआर के तहत पीएफसी को ऋण	6552	...	...	...	203.40	...	203.40	166.80	...	166.80	311.40	...	311.40
27.03 अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यो में पारेषण तंत्र का सुदृढ़ीकरण	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	145.00	...	145.00
27.04 पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकारी उद्यमों में निवेश	4552	...	...	...	87.50	...	87.50	25.50	...	25.50	54.00	...	54.00
27.05 पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकारी उद्यमों में निवेश	6552	...	...	...	...	...	...	163.13	...	163.13	80.00	...	80.00
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान		*...*	*...*	*...*	*964.20*	*...*	*964.20*	*709.83*	*...*	*709.83*	*1080.40*	*...*	*1080.40*
जोड़-पारेषण और वितरण		**...**	**...**	**...**	**964.20**	**...**	**964.20**	**709.83**	**...**	**709.83**	**1280.40**	**...**	**1280.40**
जोड़-विद्युत		**7669.65**	**-65.58**	**7604.07**	**8828.39**	**-159.11**	**8669.28**	**5651.56**	**-207.79**	**5443.77**	**9371.53**	**-148.73**	**9222.80**
28. पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा सरकारी उद्यमों में निवेश													
28.01 नार्थ ईस्टर्न इलेक्रिक पावर कारपोरेशन लि. में निवेश	4801	45.00	...	45.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28.02 विद्युत परियोजनाओं हेतू ऋण	6801	781.00	...	781.00	812.61	...	812.61	398.44	...	398.44	270.37	...	270.37
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा सरकारी उद्यमों में निवेश		*826.00*	*...*	*826.00*	*812.61*	*...*	*812.61*	*398.44*	*...*	*398.44*	*270.37*	*...*	*270.37*
29. वास्तविक वसूलियां	2801	-201.08	...	-201.08	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		***8295.54***	***-44.34***	***8251.20***	***9642.00***	***-135.01***	***9506.99***	***6051.00***	***-183.69***	***5867.31***	***9642.00***	***-122.89***	***9519.11***

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
28.01 राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि.	12801	...	12817.61	12817.61	...	26400.00	26400.00	...	26400.00	26400.00	...	20995.00	20995.00
28.02 राष्ट्रीय पन-बिजली विद्युत निगम लि.	12801	781.00	2987.87	3768.87	812.61	4277.39	5090.00	398.44	4277.39	4675.83	270.37	3826.63	4097.00
28.03 दामोदर घाटी निगम लिमिटेड	12801	...	5253.31	5253.31	...	5890.59	5890.59	...	5890.59	5890.59	...	5571.69	5571.69
28.04 पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम लि.	12801	45.00	414.02	459.02	87.50	949.77	1037.27	188.63	949.77	1138.40	134.00	1137.79	1271.79

http://indiabudget.nic.in

		विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
	(पूर्वोत्तर क्षेत्र संघटक)													
28.05	सतलुज जल विद्युत निगम लि.	12801	...	566.89	566.89	...	1133.13	1133.13	...	1133.13	1133.13	...	796.00	796.00
28.06	टिहरी जल विकास निगम लि.	12801	...	604.84	604.84	...	389.85	389.85	45.00	389.85	434.85	110.00	455.39	565.39
28.07	भारतीय पावर ग्रिड निगम लि.	12801	...	12005.39	12005.39	...	17700.00	17700.00	...	17700.00	17700.00	...	20000.00	20000.00
जोड़			**826.00**	**34649.93**	**35475.93**	**900.11**	**56740.73**	**57640.84**	**632.07**	**56740.73**	**57372.80**	**514.37**	**52782.50**	**53296.87**
ग. योजना परिव्यय														
1.	विद्युत	12801	8295.54	34649.93	42945.47	8677.80	56740.73	65418.53	5341.17	56740.73	62081.90	8561.60	52782.50	61344.10
2.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	964.20	...	964.20	709.83	...	709.83	1080.40	...	1080.40
जोड़			**8295.54**	**34649.93**	**42945.47**	**9642.00**	**56740.73**	**66382.73**	**6051.00**	**56740.73**	**62791.73**	**9642.00**	**52782.50**	**62424.50**

1. **सचिवालय:** विद्युत मंत्रालय के सचिवालय के लिए स्थापना संबंधी मामलों पर व्यय के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत प्रावधान है।

3. **केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण:** केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण रा¬ट्रीय विद्युत संसाधनों के नियंत्रण और उपयोग के संबंध में विभिन्न एजेंसियों के कार्यकलापों का समन्वय करता है। यह सर्वेक्षण और अध्ययनों, उत्पादन, वितरण, विद्युत संसाधनों के उपयोग और विकास से संबंधित आंकड़ों के संग्रह और रिकार्डिंग के लिए भी उत्तरदायी है।

4. **अनुसंधान एवं विकास:** केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर, इलैक्ट्रिकल पावर के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में सेवाएं प्रदान करता है और परीक्षण, मूल्यांकन और वैद्युत उपकरण और अवयवों के सत्यापन के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।

5. **प्रशिक्षण:** राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान विद्युत स्टेशनों के प्रचालन एवं अनुरक्षण सहित विद्युत क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण देने का कार्य करता है।

6. **मणिपुर और मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी):** संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) के गठन के लिए केंद्र सरकार को अधिकृत करते हुए मणिपुर तथा मिजोरम सरकार द्वारा हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 83 के अंतर्गत इन राज्यों के लिए जेईआरसी का गठन किया है। केंद्र सरकार ने प्रथम पाँच वर्षों के दौरान आयोग के आवर्ती एवं गैर-आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए 6.60 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की योजना स्कीम भी अनुमोदित की है जो जनवरी, 2013 में समाप्त हो रही है।

7. **केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग::** ईआरसी अधिनियम 1998 के प्रावधानों के अंतर्गत, केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) का गठन किया था। केन्द्रीय आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 जो 10 जून, 2003 से प्रभावी हुआ है, के अंतर्गत सांविधिक निकाय के रूप में चल रहा है।

9. **राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई):** ग्रामीण विद्युत अवसंरचना एवं घरेलू विद्युतीकरण की यह स्कीम सभी ग्रामीण घरों को विद्युत पहुंच प्रदान करने के लिए अप्रैल, 2005 में प्रारंभ की गई। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) कार्यक्रम की नोडल एजेंसी है। स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं का ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन (आरईडीबी) के प्रावधान, ग्राम विद्युतीकरण अवसंरचना (वीईआई) के सृजन तथा विकेन्द्रीकृत वितरित उत्पादन तथा आपूर्ति के लिए 90% पूंजीगत सब्सिडी के साथ वित्तपोषण किया जा सकता है। आरईडीबी, वीईआई तथा डीडीजी कृषि तथा अन्य कार्य-कलापों की आवश्यकता की भी पूर्ति करेंगे। इस स्कीम के अंतर्गत, गैर-विद्युतीकृत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के घरों को नि:शुल्क विद्युत कनैक्शन दिया जाएगा। 11वीं योजना में स्कीम को चालू रखने की संस्वीकृति प्रथम चरण में 28,000 करोड़ रुपये की पूंजीगत सब्सिडी के साथ 03 जनवरी, 2008 को दी गई थी। छोटे आवास स्थलों की कवरेज बढ़ाने के लिए, सरकार ने 300 के स्थान पर 100 तक की जनसंख्या वाले आवास स्थलों के विद्युतीकरण की संस्वीकृति दे दी थी। आरजीजीवीवाई ग्रामीण विद्युत अवसंरचना तथा घरेलू विद्युतीकरण के सृजन की एक प्रमुख स्कीम है। वर्ष 2012-13 का लक्ष्य 4800 गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण करना तथा 34 लाख बीपीएल घरों को विद्युत कनैक्शन प्रस्तुत करना है।

11. **मूल्यांकन अध्ययनों तथा परामर्श का वित्तपोषण::** यह प्रावधान विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों/स्कीमों का मूल्यांकन अध्ययन करवाने के लिए है।

12. **विद्युत के लिए अपीलीय ट्रिब्यूनल:** विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने विद्युत के लिए अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन किया है। यह विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत निर्णायक अधिकारी अथवा उपयुक्त

http://indiabudget.nic.in

आयोगों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है। पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक मंडल अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत, एपटेल उस अधिनियम के उद्देश्य से अपीलीय अधिकरण है।

13. **संघ शासित क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी):** केंद्र सरकार ने दिल्ली को छोड़कर गोवा एवं सभी संघ शासित क्षेत्रों के लिए एक संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) का गठन किया है। संयुक्त आयोग के व्यय का वहन केंद्र सरकार तथा गोवा सरकार द्वारा 6:1 के अनुपात में किया जाता है।

14. **व्यापक अवार्ड स्कीम:** विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रचालन, परियोजना प्रबंधन तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में उत्कृष्ट निष्पादन को मान्यता देने के लिए विद्युत उत्पादन केंद्रों, पारेषण और वितरण यूटिलिटियों तथा साथ ही साथ ग्रामीण वितरण के फ्रेंचाइजियों को शील्ड और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं।

15. **ऊर्जा संरक्षण:** निधि का प्रयोग ऊर्जा संरक्षण से संबंधित कार्यकलापों यथा-राष्ट्र स्तरीय जागरूकता अभियान, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अवार्ड तथा बच्चों के लिए राष्ट्र स्तरीय चित्रकारी प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। इनमें से एक मिशन राष्ट्रीय आवर्धित उर्जा कार्यकुशलता मिशन है। इसे विद्युत मंत्रालय तथा ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो (बीईई) द्वारा चलाया जा रहा है।

16. **ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो:** बीईई को इसकी विभिन्न योजना स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए वित्त प्रदान किया जाएगा। राज्यों के सब्सिडी बोझ को तथा नगर-पालिकाओं द्वारा किए गए ऊर्जा व्यय को कम करने के लिए समग्र विद्युत खपत को कम करने, कृषि सिचाई, जल पंपिंग, सडक प्रकाश व्यवस्था तथा सीवेज पंपिग में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा अनेकों मांग पक्ष संबंधी उपाय (डीएसएम) प्रारंभ किए गए हैं। सरकार ने बचत लैम्प योजना (बीएलवाई) अनुमोदित की है जो घरों में तापदीप्त बल्बों को बदलकर कार्यक्षम ऊर्जा एवं उच्च गुणवत्ता के कॉम्पेक्ट फ्लोरोसेंट लैंप (सीएफएल) लगाने को बढ़ावा देती है। उपकरणों/उपस्करों का लेबलिंग करके और ऊर्जा खपतकर्ता यंत्रों की श्रेणी पर लेबलिंग को अनिवार्य करके अनंतिम उपयोग में खपत घटाने हेतु मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम आरंभ किया गया है। लक्षित उत्पादन क्षमता टाले जाने के लिए ऊर्जा संरक्षण, कुशलता को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी), राज्य नामोदिष्ट एजेंसियों (एसडीए) का सुदृढ़ीकरण, लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) में ऊर्जा कुशलता, राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि तथा सुपर ऊर्जा कुशल उपस्कर कार्यक्रम (एसईईपी), जैसी स्कीमें प्रारंभ की गई हैं।

17. **पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी):** इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य विद्युत यूटिलिटियों को एटी एंड सी हानि के स्तर से घटा कर 15% तक करने में सहायता देने का है। कार्यक्रम में दो मुख्य संघटक हैं। भाग-क में परियोजना क्षेत्रों में सत्यापन योग्य आधार-भूत एटी एंड सी हानि स्तरों को अंतिम रूप देने वाले सूचना प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा लेखा करण एवं लेखा परीक्षा प्रणाली की स्थापना करने वाली परियोजनाएं शामिल हैं। भाग-ख में हानि स्तर में कमी करने वाले वितरण नेटवर्क सुदृढ़ीकरण निवेशों पर विचार किया जाता है।

18. **क्षमता निर्माण हेतु विनियामक फोरम को सहायता:** क्षमता निर्माण और परामर्श का लाभ उठाने के लिए विनियामक फोरम को निधियाँ उपलब्ध कराने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

21. **राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी स्कीम):** आरजीजीवीवाई और आर-एपीडीआरपी परियोजना क्षेत्रों द्वारा शामिल न किए गए क्षेत्रों के लिए वितरण नेटवर्क को सुधारने हेतु सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, दोनों में वितरण कंपनियों (डिस्काम) को संवितरित किए जाने वाले ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने हेतु रा¬ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) की स्थापना की जा रही है। पात्रता हेतु पूर्व शर्त राज्यों द्वारा किए गए कुछ सुधार उपायों से संबद्ध है, और ब्याज सब्सिडी की राशि सुधारों से जुड़े परामीटरों पर हुई प्रगति से संबद्ध है। एनईएफ की नोडल एजेंसी रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड होगी। स्कीम के कार्यान्वयन से एटी व सी हानियों में कमी, सब्सिडी प्राप्त आधार पर आपूर्ति की औसत लागत और औसत राजस्व के बीच अंतर की कमी, इक्विटी पर आय में सुधार और वितरण क्षेत्र में निवेश के साथ बहुवर्षीय टैरिफ की अधिसूचना जारी होगी। इस स्कीम से राज्य क्षेत्र वितरण स्कीम के नवीनकरण एवं पुनर्गठन में केन्द्र सरकार उत्प्रेरक होगी एवं मध्यस्थता करने में उसे सुविधा होगी। सीसीईए ने दिनांक 13.12.2011 को एनईएफ स्कीम को अनुमोदन प्रदान किया है।

26. **कारगिल के रास्ते से श्री नगर से लेह तक 220 केवी पारेषण लाइन:** एसबीई में जोड़ी गई नई स्कीम को पीआईबी/सीसीईए द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना है।

27.03. **अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण:** एसबीई में जोड़ी गई नई स्कीम को पीआईबी/सीसीईए द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना है।

28. **सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में निवेश:**

28.01. **एनटीपीसी लिमिटेड:** एनटीपीसी की स्थापना ताप विद्युत विकास करने वाली केंद्रीय क्षेत्रक उत्पादक कंपनी के रूप में 1975 में की गई थी। तब से यह निगम भारत में विशालतम ताप उत्पादक कंपनी के रूप में तेजी से अग्रसर है और यह कंपनी जल विद्युत, विद्युत ट्रेडिंग, कोयला खनन आदि में विविधीकृत हुई है। कंपनी विवध कार्यों को पूरा करने के लिए इसे एनटीपीसी के रूप में दूसरा नाम दिया गया है। 31 दिसंबर, 2011 के अनुसार एनटीपीसी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 10,000 करोड़ रुपये और प्रदत्त पूंजी 8245.50 करोड़ रुपये है। 31 दिसंबर, 2011 के अनुसार एनटीपीसी की अपने संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों को मिलाकर संस्थापित क्षमता 36014 मेगावाट है।

28.02. **एनएचपीसी लिमिटेड:** एनएचपीसी लि0 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 1975 में निगमित किया गया था। एनएचपीसी भारत सरकार का " क " श्रेणी का उद्यम है। 31 मार्च, 2011 के अनुसार इसकी प्राधिकृत पूंजी 15,000 करोड़ रुपये और प्रदत्त पूंजी 12,300.74 करोड़ रुपये है। 31.12.2011 के अनुसार एनएचपीसी की कुल संस्थापित क्षमता 5295 मेगावाट है, जिसमें एनएचडीसी (मध्य प्रदेश सरकार की संयुक्त उपक्रम कंपनी) और इसकी 14 परियोजनाओं का सहयोग है।

28.03. **दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी):** डीवीसी की स्थापना दामोदर घाटी में सिंचाई, जल आपूर्ति, जल निकास, उत्पादन, पारेषण एवं हाइड्रोइलेक्ट्रिक विद्युत के प्रोत्साहन एवं प्रचालन हेतु 1948 में की गई थी। 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार डीवीसी की कुल संस्थापित क्षमता 5439.70 मेगावाट है।

http://indiabudget.nic.in

28.04. **नॉर्थ-ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको):** नीपको की स्थापना विद्युत मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के श्रेणीक उद्यम के रूप में 2 अप्रैल, 1975 को की गई। इसका लक्ष्य बिजली उत्पादन परियोजनाओं की योजना, विकास और प्रारंभण के जरिए देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र की विद्युत क्षमता का विकास करना है जिससे क्रमिक रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रभावी विकास को बढ़ावा मिल सके। चूंकि नीपको, विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत 5000 करोड़ रुपये की प्राधिकृत पूंजी के साथ अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में उभरा है तथा इसकी संस्थापित क्षमता 1130 मेगावाट (हाइड्रो 755 मेगावाट एवं थर्मल 375 मेगावाट) है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र की 60% से अधिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है।

28.05. **एसजेवीएन लिमिटेड:** पूर्व नाथपा झाकड़ी पावर कारपोरेशन लिमिटेड-एनजेपीसी) में हाइड्रोइलेक्ट्रिक विद्युत परियोजनाओं की योजना निरीक्षण, संगठन, निष्पादन, प्रचालन अनुरक्षण करने के लिए भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में क्रमश: 75:25 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी के साथ इक्विटी 24 मई, 1988 को स्थापित किया गया था । भारत सरकार ने मई, 2010 में एसजेवीएन के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के जरिए अपने हिस्से की 10.03% पूंजी सार्वजनिक एवं वित्तीय संस्थाओं के लिए पेशकश की। एसजेवीएन " सूची-क " की मिनीरत्न कंपनी है । एसजेवीएन की वर्तमान प्राधिकृत शेयर पूंजी 7000 करोड़ रुपये है।

28.06. **टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड:** टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड जो मिनीरत्न और सूची " क " की कंपनी है को टिहरी हाइड्रो पावर काम्प्लेक्स तथा अन्य परियोजनाओं के विकास, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए जुलाई, 1988 में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। टिहरी जल विद्युत संकुल (2400 एमडब्ल्यू) में टिहरी एचईपी (1000 एमडब्ल्यू), टिहरी पीएसपी (1000 एमडब्ल्यू) एवं कोटेशवर एचईपी (400 एमडब्ल्यू) शामिल है। टिहरी जल विद्युत परियोजना (1000 मेगावाट) वर्ष 2007 से प्रचालनाधीन है; टिहरी पीएसपी (1000 मेगावाट) निर्माणाधीन है और कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट), की 3 यूनिटें प्रत्येक 100 एमडब्ल्यू के प्रचालनाधीन हैं। कोटेश्वर एचईपी की अंतिम यूनिट के मार्च, 2012 तक चालू होने का अनुमान है।

28.07. **पीजीसीआईएल:** पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) को 23 अक्तूबर, 1989 को 5000 करोड़ रुपये की प्राधिकृत शेयर पूंजी के साथ कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भारत सरकार के उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। 2007-08 में इसकी पूंजी 10,000 करोड़ रुपये तक बढ़ गई और 31 मार्च, 2011 के अनुसार इसकी प्रदत्त पूंजी 4629.73 करोड़ रुपये है। 31.12.2011 के अनुसार पावरग्रिड की अंतर-क्षेत्रीय पारे¬षण क्षमता 23,800 मेगावाट है।

http://indiabudget.nic.in